न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम, कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

सत्र परीक्षण संख्या–70/2024

उ०प्र० राज्य–बनाम–संजय प्रसाद

मु०अप०सं०–463/2023,
धारा–304 भा०दं०सं०,
थाना–कप्तानगंज,
जनपद–कुशीनगर।

16.05.2025–

पुकार करायी गयी। अभियुक्त संजय प्रसाद जेरे हिरासत समक्ष न्यायालय उपस्थित।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.05.2025 अन्तर्गत धारा–311 दं०प्र०सं० इस आशय का दिया गया कि उपरोक्त सत्र परीक्षण में गवाहान सूची में सहवन विवेचक द्वारा पोस्टमार्टम कर्ता साक्षी डाक्टर राजेश कुमार पुत्र ए०डी० प्रसाद का नाम अंकित किया गया है, जबकि पोस्टमार्टम डा० राजेश कुमार सिंह, आर्थो सर्जन, सुबाष चन्द्र बोस, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर द्वारा किया गया है। जिनका साक्ष्य कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः याचना की गयी है कि पोस्टमार्टम कर्ता डा० राजेश कुमार सिंह, आर्थो सर्जन, सुबाष चन्द्र बोस, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर को बतौर अभियोजन साक्षी तलब करने की कृपा की जावे।

अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र का मौखिक विरोध किया गया है, लेकिन कोई लिखित आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.05.2025 के माध्यम से अभियोजन की ओर से मामले के पोस्टमार्टम कर्ता डा० राजेश कुमार सिंह, आर्थो सर्जन, सुबाष चन्द्र बोस, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर को तलब करने की याचना की गयी है। न्यायालय के मत में मामले के गुण–दोष के आधार पर न्यायसंगत विनिश्चय हेतु उक्त साक्षी का बयान होना आवश्यक है। अतएव अभियोजन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं०प्र०सं० स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियोजन का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–311 दं०प्र०सं० दिनांकित 16.05.2025 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली वास्ते शेष अभियोजन साक्ष्य दिनांक 29.05.2025 को पेश हो।

साक्षी डा० राजेश कुमार सिंह, आर्थो सर्जन, सुबाष चन्द्र बोस, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर नियत तिथि के लिये जरिये समन तलब हों।

अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–प्रथम,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।

Digitally signed by PARMESHWAR PRASAD
Date: 2025.05.17 10:42:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court